

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/331

मुकदमा नम्बर 92/2025

दर्ज दिनांक— 17.06.2025

नत्थू सिंह पुत्र बिसन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरजनपुरा, पटवार हल्का टोंक छिलरी, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री अमर सिंह शेखावत, श्री भोजराज सिंह

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम सुरजनपुरा, पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में भूमि खाता सं. 36 नया के अनतर्गत खसरा नं. 230 रकबा 0.94 है० तथा भूमि खसरा नं. 231 रकबा 0.85 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.79 है० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बघेर सिंह के स्थान पर नत्थू सिंह दुरुस्त किया जाकर दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार उजर एतराज जाहिर नहीं किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम सुरजनपुरा, पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में भूमि खाता सं. 36 नया के अनतर्गत खसरा नं. 230 रकबा 0.94 है० तथा भूमि खसरा नं. 231 रकबा 0.85 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.79 है० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बघेर सिंह के स्थान पर नत्थू सिंह दुरुस्त किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामंद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू